

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 264/2004

Nand Kishore

----Appellant

Versus

Hanuman Das And Ors

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Rajat Ranjan
For Respondent(s)	:	Mr. Niranjan Katariy Mr. Harish Kumar Saini Mr. Virendra Singh Choudhary (R.1/2) Mr. Rahul Ghiya(R.2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9) Ms. Himanshi Bhatia for Mro Srijana Shresth (R.3)

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/01/2026

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र संख्या **29499/2019** अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सीपीसी पेश कर प्रत्यर्थी संख्या-1 की मृत्यु के कारण उसके विधिक प्रतिनिधिगण 1/1 एवं 1/2 को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का निवेदन किया है। एक अन्य प्रार्थना-पत्र संख्या **35005/2019** इस प्रार्थना-पत्र को प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है।

दोनों प्रार्थना-पत्रों पर सुना गया।

प्रकरण अचल सम्पत्ति में पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों एवं प्रार्थना-पत्रों में अंकित कारणों तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण के विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से अपील जारी रखने का अधिकार होने के तथ्यों को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाते हैं। प्रार्थना-पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रत्यर्थी संख्या-1 के विधिक प्रतिनिधिगण को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए अभिलेख पर लिया जाता है।

संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया जावे।

संशोधित शीर्षक पूर्व से ही अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या-1 के विधिक प्रतिनिधिगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, उन्हें अपील एवं प्रार्थना-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करवाई गईं।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL/20